

चाईलड बजट वर्ष 2025-26

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र. योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2024-25	बजट प्रावधान 2025-26	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	79	दिव्यांगजनों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। 1. दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण 2. भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना 3. शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था 4. आकस्मिक सुविधा के रूप में सभी संस्थाओं को दूरभाष एवं प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर भी उपलब्ध कराये गये हैं। 5. राज्य में प्राथमिक स्तर से 10+2 तक की विशेष शिक्षा व्यवस्था की गई है ।	273500	300066
2.	75	दिव्यांग छात्रवृत्ति	प्राथमिक पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं माविद्यालयीन अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रुपये रु. 150/- से रुपये 190/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है तथा दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को रुपये 100/- रु से 200/- वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।	25800	26800